न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 281/2013

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगणः-
1. गंगाराम पुत्र हजारीराम जाति-रेगर, निवासी-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।		1. अमरा पुत्र कल्ला जी जाति-ढोली निवासी-कोटड़िया तहसील-जैतारण।
		2. सुभाषचन्द पुत्र कालूराम जाति-बलाई, निवासी- भारणी, तहसील- श्रीमाधोपुर जिला-सीकर।
		3. बाबूलाल पुत्र बींजाराम जाति-ढोबी, निवासी- मोहराई तहसील-जैतारण।
		4. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान तहसीलदार जैतारण।
		5. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली राज.।
		6. श्रीमान उपपंजीयक (तहसीलदार साहब) जैतारण जिला-पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

तारीख रजूः.30/12/2013

उपस्थितः-

1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक :- 12/03/2020

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि खसरा नंबर 429/2 वाके मौजा-कोटड़िया, पटवार हल्का कुड़की गिरदावर हल्का-रास, तहसील-जैतारण जिला-पाली की भूमि है, जिसे इस वादपत्र में आगे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। खसरा नंबर 429/2 का रकबा 08 बीघा है, इसकी किस्म बारानी अव्वल प्रथम राजस्व रिकॉर्ड में

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दर्शाया गया है, जिसको खातेदार काश्तकार के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रखा है जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा जिसका नाम जमाबन्दी संवत 2066–2069 में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम स्पष्ट अंकित है तथा मौके पर कब्जा बेरोकटोक प्रतिवादी संख्या 01 का बरकरार है और प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 20.04.2006 को प्रतिवादी संख्या 02 को बेचानकर मौके पर कब्जाकाश्त संभाल दिया है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 02 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रकट नहीं हुआ है तथा रजिस्ट्री के जरिये रजिस्ट्री होने का कानून होने के कारण से खरीददार प्रतिवादी संख्या 02 सुभाषचन्द बायल ने अपनी खरीदशुदा भूमि का आगामी बेचान प्रतिवादी संख्या 03 के हक में करते हुए जिस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 से पंजीबद्ध बेचाननामा करवाकर कब्जा जोत प्राप्त की, तदनुसार ही जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 23.07.2012 को पंजीबद्ध बेचाननामा तहरी एवं तकमील करवाते हुए, मौके पर जाकर कब्जा जोत संभला दी है, तथा प्रतिवादी संख्या 03 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा खरीद किये जाने के पश्चात उक्त विवादित भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 03 के द्वारा वादी के हक में मुबलिम 1,15,000 रूपये अक्षरे एक लाख पन्द्रह हजार रूपये में खरीद कर पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 13.08.2012 को तहरीर एवं तकमील करते हुए कब्जा जोत मौके पर संभला दिया है, तब से बेरोकटोक कब्जा काश्त वादी का मौके पर रहा है और वर्तमान में वादी ने खरीदशुदा भूमि पर हल चलवाकर फसल लेने हेतु कार्यवाही की है। वादी के द्वारा दिनांक 30.11.2013 को प्रतिवादी संख्या 04 के समक्ष उपस्थित होकर तमाम प्रकार की जानकारी लेते हुए उसके हक में खातेदार काश्तकार होने बाबत जानकारी की मांग की, जिसपर हल्का पटवारी एवं प्रतिवादी संख्या 04 के तमाम अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा टालमटोल, बहानेबाजी करने के कारण से यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के द्वारा समय–समय पर बेचान का इन्द्राज कराते हुए पंजीबद्ध बेचाननामा तहरीर एवं तकमील करवाया गया, तब–तब हर खरीददार के द्वारा उसके हक में राजस्व रिकॉर्ड हो जाने बाबत मांग की जाती रही है, जिसको प्रतिवादी संख्या 04 के द्वारा अपनी कार्यवाहियों में लापरवाही, त्रुटि के कारण वादी के हक में भी खरीद का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं करते हुए खरीदशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार होने बाबत इन्द्राज नहीं किया गया है, इस बाबत वादी ने दिनांक 30.11.2013 को अंतिम बार अपना प्रयास खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नाम कराने बाबत किया गया है, जिसपर प्रतिवादी संख्या 04 के स्वयं के द्वारा उसके अधिनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा त्रुटि रखने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त कारणों से प्रस्तुत वाद पेश किये जाने के कारण दिनांक 30.11.2013 को उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद का वादकारण

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 02, 04 से 06 बावजूद सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ एंव प्रतिवादी संख्या 03 स्वयं उपस्थित। वकील वादी ने वाद के समर्थन में शहादत के साक्ष्य शपथपत्र वादी गंगाराम पीडब्यलू-1, गवाह लालाराम पीडब्ल्यू-2, जोराराम पीडब्ल्यू-3, लालाराम पीडब्ल्यू-4 पेश किए, सामिल मिसल है।

तहसीलदार, जैतारण ने बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम-कोटड़िया की मिसल बंदोबस्त अनुसार खसरा नंबर 429/2 अवस्थित नहीं है। ग्राम कोटड़िया के खसरा नंबर 429/2 रकबा 8-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल श्रीमान एस.डी.एम. साहब जैतारण के आंवटन आदेश 104 दिनांक 02.05.1976 के द्वारा अमरा पुत्र कला कोम-ढोली के नाम आंवटन हुआ था। जिसका नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 03.05.1977 के द्वारा अमरा पुत्र कल्ला कौम-ढोली सा.देह खातेदार के रूप में किया गया था। ग्राम-कोटड़िया का नामान्तकरण संख्या 356 दिनांक 29.05.1986 के द्वारा अमरा पुत्र कला कौम-ढोली को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। ग्राम-कोटड़िया के खसरा नंबर 429/2 रकबा 8-00 बीघा का बैचान अमरा पुत्र कला कौम-ढोली द्वारा जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 20.04.2006 से सुभाषचन्द बायल पुत्र कालुराम जाति-बलाई सा-भारणी तहसील-श्री माधोपुर जिला-सीकर को कर दिया था। जिसका बैचान का नामान्तकरण संख्या 662 भरा गया। जो सरपंच, ग्राम पंचायत कुड़की द्वारा ग्राम सभा बैठक दिनांक 24.01.2007 के प्रस्ताव संख्या 03 की अनुपालना में मौके पर विवाद की स्थिति है एवं मौके पर खरीदकर्ता का कब्जा नहीं होने से नामान्तकरण खारिज किया गया था।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात अवलोकन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा ग्राम- कोटड़िया तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 429/2 रकबा 08 बीघा, किस्म बारानी अव्वल जिसे वादी द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 13.08.2012 द्वारा क्रय की गई है पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2066-69 के अनुसार ग्राम-कोटड़िया के खसरा संख्या 429/2 की आराजी का खातेदार अमरा पुत्र कला ढोली है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज व्यक्ति से वादग्रस्त आराजी क्रय की है या नहीं, क्योंकि वादपत्र के कथनों के अनुसार वादी द्वारा किसी बाबुलाल पुत्र श्री बींजाराम से उक्त आराजी क्रय करना जाहिर किया है परन्तु ऐसे किसी विक्रेता भू-अभिलेख में बतौर खातेदार कोई प्रविष्टि नहीं है। वादी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी पर उसका

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त है परन्तु वादी द्वारा वादपत्र के साथ कब्जा काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि पंजीकृत बेचान की दशा में केता द्वारा तत्काल ही विक्रेता से कब्जा प्राप्त करना होता है, वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी का तरमीम सुदा नक्शा एवं पूर्व भू अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा तथाकथित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 13.08.2012 का सम्यक् आराजी के क्रय के दौरान पर्याप्त सतर्कता बरती गई है। वादी के अनुतोष स्वरूप यह कथन कि मूल खातेदार काश्तकार अमरा पुत्र कला का नाम हटाया जाकर खरीददार प्रतिवादी संख्या 02 श्री सुभाषचन्द्र के नाम भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे तत्पश्चात श्री सुभाषचन्द पुत्र कालुराम का नाम हटाया जाकर क्रेता एवं प्रतिवादी संख्या 03 बाबुलाल के नाम भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे तथा अन्ततः बाबुलाल के स्थान पर वादी का नाम इन्द्राज किया जावे। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 की ओर से भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा की इस्तदुआ की है कानूनन उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी द्वारा केवल पंजीकृत बेचान से कागजी तौर पर पंजीकृत बेचान करके वादग्रस्त आराजी क्रय की है तथा जमाबन्दी में अंकित खातेदार जो कि प्रतिवादी संख्या 01 अमरा है द्वारा किये गये पृथक बेचान का भी राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन नहीं करवाया गया है तथा केवल पंजीकृत बेचान के आधार पर आगे–से–आगे बेचान होना प्रकट हुआ है। पूर्ववर्ती पंजीकृत बेचान के भू–अभिलेखों में क्रियान्वयन के बिना अंतिम तौर पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वादी द्वारा किया गया क्रय ही अंतिम क्रय है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.05.1976 अमरा पुत्र कला को आंवटित की गई थी वादी द्वारा वादपत्र में उक्त तथ्य को प्रकट नहीं किया गया है। तथा न ही वादी द्वारा आंवटन आदेश, आवंटन की अनुपालना में स्वीकृत नामांतरण, भू–प्रबन्ध पूर्व एवं पश्चात का भू–अभिलेख प्रस्तुत किया है तथा न ही वादी द्वारा कोई तरमीम सुदा नक्शा प्रस्तुत किया है और न ही तरमीम होने या न होने संबंधी कोई कथन किये है। जमाबन्दी की प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 श्री अमरा अनुसूचित जाति से संबंधित है लेकिन वादी द्वारा स्वयं एवं इससे पूर्व हुए पंजीकृत बेचान के क्रेताओं के संबंध में अनुसूचित जाति का सदस्य होने या न होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा न ही इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है, जिसके अभाव में हमारे पास यह विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक नहीं है कि वादग्रस्त आराजी के हुए प्रत्येक पंजीकृत बेचान के दौरान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है तथा वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल हुआ है लिहाजा वाद, वादी अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादी अंतर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/03/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगण :- बनाम **प्रतिवादीगणः-**

वादीगण:

1. गंगाराम पुत्र हजारीराम जाति-रेगर, निवासी-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

प्रतिवादीगण:

1. अमरा पुत्र कल्ला जी जाति-ढोली निवासी-कोटड़ियातहसील-जैतारण।
2. सुभाषचन्द पुत्र कालूराम जाति-बलाई, निवासी- भारणी, तहसील- श्रीमाधोपुर जिला-सीकर।
3. बाबूलाल पुत्र बींजाराम जाति-ढोबी, निवासी- मोहराई तहसील-जैतारण।
4. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान तहसीलदार जैतारण।
5. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली राज.।
6. श्रीमान उपपंजीयक (तहसीलदार साहब) जैतारण जिला-पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मु0न0 :रा0वा0 स0:281/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादी अंतर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित धारा 136 भू- राजस्व अधिनियम बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/03/2020 को जारी किया गया

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जैतारण (पाली) (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		

मिजानः- मिजानः-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.17 14:43:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: